भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी0 ए0 मिस वाद सं0- 03B/2017-18

गंगाधर महतो **बनाम** कृष्ण चन्द्र महतो

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
06-06-18	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, सरायकेला के पत्रांक 806 दिनांक 28.05.2018 के द्वारा टी0 ए0 मिस वाद सं0 03B/17–18 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता गंगाधर महतो, पिता–स्व0 नीताई महतो, ग्राम–घाघी, थाना–सरायकेला जिला–सरायकेला–खरसावॉ ने पारिवारिक खर्च हेतु क्रेता श्री कृष्ण चन्द्र महतो, पिता स्व0 गुना महतो, ग्राम–घाघी, थाना–सरायकेला, जिला–सरायकेला–खरसावॉ को निम्नांकित भूमि की विक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संवंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:–	

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
घाघी	232	185	1101	0.39एकड़

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के पत्नी के नाम पर ना0मु0से0–60(IX)/84–85 के नामान्तरित होकर पंजी–II में जमाबंदी कायम है। विक्रेता अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहते है। आवेदक के हिस्से में 3.71 एकड़ जमीन है, जिसमें से 0.39 एकड़ भूमि बिक्री करने के पश्चात् 3.32 एकड़ भूमि बचती है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही मौजा, थाना, जिला, एवं जाति 'कुर्मी', जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 0.39 एकड़ भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तद्नुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

06/06/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।

Scanned with CamScanner